राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

वाद संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
180/2018	24.05.2018	26.07.2018

अनुवान

रामजीलाल पुत्र श्री यादराम जाति अहीर, निवासी मुण्डनवाडा कलां, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर (राज0)

:– वादी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

:– प्रतिवादी

दावा – इश्तकरारहक अन्तर्गत धारा 88,89,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

स्थिति :

श्री सतीश यादव–द्वितीय वकील–वादी

–::निर्णय::–

दिनांकः– 26.07.2018

आज यह पत्रावली वास्ते सुनाये जाने निर्णय आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि विवादित आराजी ख0न0 625/0.26, 836/0.39, 862/0.45 वाके ग्राम मुण्डनवाडाकला तहसील मुण्डावर स्थित है। वक्त बदोबस्त साबिक ख0न0 510 रकबा 1 बीघा 1 बिसवा के हाल ख0न0 625 1 बीघा 1 बिसवा, साबिक ख0न0 715 में 1 बीघा 11 बिसवा के 836 रकबा 1 बीघा 11 बिसवा, साबिक 737 मिन रकबा 18 बिसवा 738 मिन रकबा 18 बिसवा के हाल ख0न0 862 रकबा 1 बीघा 16 बिसवा बना दिये। वादी आराजी मुतनाजा पर सदैव से काश्त करता चला आ रहे है। जमाबंदी संवत् 2007 व 2014 तथा ख0न0 गिरदावरी संवत् 2015 लगायत 2018 व संवत 2014 लगायत 2022 में बकाश्त रामचन्द्र पुत्र यादराम जो वादी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

का भाई था व गोद चला गया था। वादी आराजी मुतनाजा को अपने भाई रामचन्द्र पुत्र यादराम के साथ शामिलात में काबिज होकर काश्त करता था। गोद जाने के बाद वादी अपने भाई रामचन्द्र के स्थान पर काश्त करता रहा। मौके पर आज भी वादी का निर्विवाद कब्जा है। राज0काश्त0अधि0 1955 लागू होते समय आराजी मुतनाजा पर वादी का कब्जा काश्त था। इस प्रकार बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ वादी स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो गया। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी मुतनाजा का खातेदार काश्तकार के रूप में अंकन नहीं किया और वक्त सेंटलमेन्ट खातेदार दर्ज करने की बजाय गैर खातेदार दर्ज कर दिया। जो बिल्कुल गलत है। गैर खातेदारी के गलत अंकन के कारण अपनी आराजी पर लोन इत्यादि भी नहीं उठा पा रहे, ना ही किसी प्रकार की राज्य सरकार द्वारा दी जा रही कृषि संबंधी योजना का लाभ उठा पा रहे। इसलिए वादी आराजी मुतनाजा का खातेदार काश्तकार घोषित करवाये जाने का अधिकारी है का निवेदन करते हुए बहकवादी बरखिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 दावा डिक्री इस अमर की पारित की जावे कि आराजी ख0न0 625/0.26, 836/0.39, 862/0.45 वाक़े ग्राम मुण्डनवाडाकंला तहसील मुण्डावर का 1/3 भाग का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादी संख्या 1 को उक्तानुसार 1/3 भाग का खातेदारी का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने के आदेश दिये जावे के बाबत का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की विधिवत तलबी उपरान्त प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने जबाब दावा पेश किया। मुताबिक जबाबदावा पैरोकार सरकार ने वादी के वाद के जिम्मन नं. 1 लगायत 12 वादी स्वयं सिद्ध करे व 13 लगायत 15 न्यायालय क्षेत्राधिकार में होकर श्रवण योग्य है, का अंकन करते हुए अपना जबाब पेश किया है, जो शामिल पत्रावली है।

तनकीयात कायम किये गये जो निम्न प्रकार है :–

1. आया वाद पत्र के जिम्मन नं0 1 में दर्ज आराजी हाल जिसके साबिक खसरा नं. जिम्मन नं. 2 में दर्ज है, वादी के बुर्जुगों से ही कब्जे काश्त की आराजी है, जिसमें वादी 1/3 भाग का खातेदार, काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। –जिम्मेवादी
2. अनुतोष

वादी ने अपने वाद पत्र की ताईद में मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र रामजीलाल पी.डब्ल्यू–1, शपथ पत्र प्रदीप पी.डब्ल्यू–2 एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबन्दी 2069–72 प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2029 किता 2 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2022 किता–2 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2007 लगायत 10 किता–2 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2014 किता–3 प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2018 किता–2 प्रदर्श–6, नकल मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2029 प्रदर्श–7, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015–18 किता–4 प्रदर्श–8 वाके ग्राम मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जो शामिल पत्रावली है।

Scanned by CamScanner

वकील वादी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के जिम्मनों को दोहराते हुए विवादित आराजीयात के 1/3 भाग को वादी को हाल गैर खातेदारी के अंकन को दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक साक्ष्यों एवं सबूत से स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होनें के समय अर्थात दिनांक 15.10.1955 या जागीरदारी बिस्वेदारी उन्मूलन लागू होने के दिनांक के समय वादीगण के पूर्वजों की खुदकाश्त की भूमि रही है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 15 के तहत खातेदारी के हकदार प्रार्थीगण है।

In the year 1955, the Rajasthan Tenancy Act came into force w.e.f. 15.10.1955 and by virtue of section 15, the petitioners who had acquired the khatedari rights in accordance with the provisions of Jagir Act are to be treated as khatedar tenant. Section 15 of the Rajasthan Tenancy Act is reproduced as under:-

'Sec.15- Khatedar tenants- (1) Subject to the provisions of Section 16; and clause (d) of sub-section (1) of Section 180, every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tetant or a tenant or Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than a sub-tenant of tenant of khudkasht or an allottee of land under and in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act, VI of 1952), or of any other law for the time being in force shall be khatedar tenant and shall subject to the provisions of this Act, be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on khatedar tenants by this Act:

Provided that no khatedari rights shall accrue under this section to any tenant to whom land is or has been let out temporarily in GangCanal, Bhakra, Chambal or Jawai Project area or any other area notified in this behalf by the State Government.

(2) Notwithstanding anything contained in Sub-Section(1), khatedari rights shall not accrue thereunder to any person to whom land had been let out before the commencement of this Act by the State Government in furtherance of the 'Grow more Food Campaign' or under some special order subject to some specified conditions or in pursuance of some statutory or non-statutory rules and who shall have before such

Scanned by CamScanner

commencement, made a default in securing the objective of such campaign, or a breach of any such order, condition or rule.

(3) Any person referred to in sub-section (2) may, within three years from the date of commencement of this Act and on payment of a court fee of twenty five naye paise, apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration that he acquired khatedari right under sub-section(1) in the land held by him.

(4) Such application may be made on any of the following grounds, namely;

(a) that the land held by him was let out to him after the commencement of this Act;

(b) that it was not let out to him in any of the circumstances specified in sub-section(2);

(c) that when the land was let out to him he was not apprised of such circumstances;

(d) that he had, before such commencement, made no default or breach of the nature specified in sub-section(2)

(5) The Assistant Collector shall, upon the presentation of an application under sub-section (3), make inquiry in the prescribed manner and afford reasonable opportunity to the applicant of being heard and shall, if he does not reject the application, declare the applicant to have become khatedar tenant of his holding in accordance with and subject to the provisions of the sub-section(1).'

In view of the legal position, if the name of the tenant is recorded in the revenue record as khatedar or under any caption, tenant becomes khatedar tenant by virtue of section 15 of the rajasthan tenancy Act. Applying the provisions of secion 15 of the rajasthan tenancy Act it is revealed that the land was being cultivated by the petitioners forfather ever since Sanvat 2010 , in the year 1954 their forfather were recorded as tenant cultivating the land and, therefore, under the provisions of section 9 of the jagir Act, he had become the khatedar tenant of the land.

अतः राज0का0 अधि0 1955 की धारा 15 से स्पष्ट है कि राज0 का0 अधि0 के लागू होने तथा जागीरदारी, बिस्वेदारी उन्मूलन के समय से ही प्रार्थी के पूर्वजों का स्टेटस खातेदार टीनेन्ट थे।

अतः वादी द्वारा अपने वादपत्र की ताईद में मौखिक साक्ष्य एवं ठोस, सम्यक दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वाद पत्र को साबित किये जाने की स्थिति में वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर
राजस्व वाद संख्या :– 180/08
शुभकरण बनाम पूर्ण सिंह
निर्णय दिनांक :– 26.07.2018

–:: आदेश ::–

यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में विवादित आराजी ख0न0 625/0.26, 836/0.39, 862/0.45 वाके ग्राम मुण्डनवाडा कंला तहसील मुण्डावर जिला अलवर के हाल रिकार्ड पर से वादी के नाम दर्ज गैर खातेदारी के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त विवादित आराजी के 1/3 भाग का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप हाल रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को मेरे द्वारा लिखया जाकर वाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

26.07.18

(महेश चन्द्र गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर०ए०एस०)

ा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
1/2018	24.05.2018	26.07.2018

अनुवान

रामजीलाल पुत्र श्री यादराम जाति अहीर, निवासी मुण्डनवाडा कलां, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर (राज0)

:– वादी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

:– प्रतिवादी

दावा – इशतकरारहक अन्तर्गत धारा 88,89,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–::पर्चा डिक्री::–

दिनांक:– 26.07.2018

वादी की ओर से श्री सतीश यादव द्वितीय एडवोकेट की उपस्थिती में इस में आज तारीख 26.07.2018 को श्री महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक क्टर मुण्डावर के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है डिक्री दी जाती है कि –

आराजी ख0न0 625/0.26, 836/0.39, 862/0.45 वाके ग्राम मुण्डनवाडा कंला तहसील मुण्डावर जिला अलवर के हाल रिकार्ड पर से वादी के नाम दर्ज गैर खातेदारी के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त विवादित आराजी के 1/3 भाग का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप हाल रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खण्डाधिकारी
वर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर
राजस्व वाद संख्या :– 180/08
शुभकरण बनाम पूर्ण सिंह
निर्णय दिनांक :– 26.07.2018

यह निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 26.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

26.07.18

(महेश चन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner